उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–1175–औसं/पाकालि/2016–11(1)ए0एस0/09(14) दिनाँक 22 मार्च, 2016

विषय :– बृज मेडिकल सेण्टर प्रा0लि0, 94–ई, पनकी, कानपुर (निजी चिकित्सालय) की मान्यता दि0 30.06.2016 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय–ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–163–औस/2015–11(1)ए0एस0/09(14) दिनांक 14.01.2015 एवं संख्या–1176–औस/2015–11(1)ए0एस0/09(14) दिनांक 16.04.2015 के अनुकम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त **बृज मेडिकल सेण्टर प्रा0लि0, 94–ई, पनकी, कानपुर, फोन नं0–0512–2262150, 2262861** की मान्यता कारपोरेशन के आदेश संख्या–4452–औस–17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश संख्या–3593–औसं–17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों एवं अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन पूर्व निरन्तरता के साथ **दिनांक 01.10.2015 से 30.06.2016** तक एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :–

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः–1175–(1) औस/पाकालि/2016–तददिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेटर प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– निदेशक (का0प्र0), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्याँचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणाँचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।

....2....

6– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति–प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

7– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

8– समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।

9– महाप्रबन्धक (औ0सं0) / समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / मुख्य महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा / वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

11– समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव–प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

12– अधिशासी अभियन्ता(वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Medical** पर अपलोड करने हेतु।

13– सलाहकार (चिकित्सा) (उत्पादन निगम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

14– कार्यकारी निदेशक, बृज मेडिकल सेण्टर प्रा0लि0, 94–ई, पनकी, कानपुर।

15– मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर।

16– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

17– कट फाइल।

N.K. Mathur 22.3.16

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

MEDICAL/531